पत्रांक 2390 /आयु0क0उत्तरा0 / वाणि0कर / विधि–अनुभाग / 2016–17 / दे0दून

कार्यालय आयुक्त कर,उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

दिनांकः:देहरादून :: 30 जून, 2016

समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
एवं समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विषयः– एक पक्षीय कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु दिशा–निर्देश।

मुख्यालय पर प्राप्त विभिन्न प्रत्यावेदनों से यह तथ्य जानकारी में आये हैं कि कई मामलों में नियम 47 के अन्तर्गत दी गयी तामीली की व्यवस्था का पालन नहीं करने, जिस तिथि को सुनवाई नियत की जाती है, उस दिन कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने, कार्यालय मे उपस्थित होने पर कमियां मौखिक रूप से इंगित करते हुए विवरण प्राप्त नहीं करने व वार्षिक विवरणी दाखिल होने पर भी उसका संज्ञान नहीं लेने आदि के कारण एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पारित किए जाते हैं। उक्त स्थिति कर निर्धारण अधिकारी के स्तर पर उचित नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत एक पक्षीय कर–निर्धारण व अर्थदण्ड आदेश पारित करने हेतु निम्न निर्देश जारी किए जाते हैः–

1–सर्वप्रथम वर्ष 2013–14 व वर्ष 2014–15 में बोगस पैंडेंसी समाप्त की जाए जिसके लिए मुख्यालय से पत्रांक 369 दिनांक 25 अप्रैल, 2016 द्वारा निर्देश जारी किए गये है।

2– वर्ष 2013–14 व वर्ष 2014–15 में जिन व्यापारियों द्वारा वार्षिक कर–निर्धारण विवरण धारा 25 (2) के अन्तर्गत नियत समय में दाखिल कर दिए गये है उनकी जांच की व्यवस्था मुख्यालय के परिपत्र संख्या 442 दिनांक 28 अप्रैल, 2016 द्वारा की गयी है तथा स्वतः कर निर्धारित समझे गये ब्यौहारियों की धारा 25(6)/ धारा 25(7) में कर निर्धारण हेतु चयन की प्रक्रिया के लिए विज्ञप्ति संख्या 442 दिनांक 28 अप्रैल, 2016 जारी की गयी है। अतः उक्त जारी परिपत्रों के अनुपालन में अर्ह व्यापारियों को स्वतः निर्धारित करना सुनिश्चित किया जाए।

3–चूंकि वर्ष 2014–15 के कर निर्धारण वादों की कालबाधन तिथि दिनांक 31.03.2018 है अतः वर्ष 2014–15 में जिन व्यापारियों द्वारा चारों त्रैमासिक रिटर्न नियमानुसार दाखिल कर दी गयी हैं तथा पत्रावली पर व्यापारी के विरूद्ध कोई प्रतिकूल सूचना उपलब्ध नहीं है, उनका वर्ष 2016–17 में एक पक्षीय कर निर्धारण नहीं किया जाए।

4–एक पक्षीय कर निर्धारण या अर्थदण्ड आदेश पारित करने से पूर्व नियम 47 के अन्तर्गत नोटिस की तामीली आवश्यक है। संकर्म संविदाकारों को छोड़कर सामान्य व्यापारियों के मामले में पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट से नोटिस की तामीली अन्तिम ज्ञात पते पर करायी जाए व तामीली की Track Record की प्रति कम्प्यूटर से डाउन लोड करके कर

निर्धारण पत्रावली पर पत्रावलित करते हुए Track Record संख्या का उल्लेख एकपक्षीय आदेश पारित करते समय आदेश मे भी अवश्य किया जाए।

5–वर्ष 2013–14 में नियमित सुनवाई में जिन वादों का निस्तारण किया जाना है, उन व्यापारियों को सुनवायी का एक अवसर दिनांक 31.08.2016 तक अवश्य दे दिया जाय तथा उक्त दिनांक तक सुनवाई नहीं किये जाने पर पुनः दिनांक 31.12.2016 तक सुनवाई का अवसर दे दिया जाए। यदि कोई व्यापारी सुनवायी के लिए स्थगन लेता है तो एक बार में 15 दिन का समय दे दिया जाये तथा तीन बार से अधिक स्थगन किसी भी दशा में नहीं दिया जाए। स्थगन देते समय वाद के कालबाधन सीमा का भी ध्यान रखा जाए।

6– यदि व्यापारी को पर्याप्त अवसर दे दिये गये हैं तथा एक पक्षीय आदेश पारित करना आवश्यक है तो न्याय एवं विवेक के अनुसार विक्रय धन निश्चित करने के लिए आधार केवल संदेह मात्र न होकर युक्तियुक्त होना चाहिए। एकपक्षीय आदेश पारित करते हुए विक्रय धन विनिश्चय करने के लिये आधारों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

7–एक पक्षीय आदेश पारित करते समय उन रियायती दरों/कर मुक्ति के प्रमाणपत्र/घोषणा पत्रों का लाभ भी सत्यापनाधीन व्यापारियों को दे दिया जाए जो कि उनके द्वारा आदेश पारित करने की तिथि तक दाखिल कर दिए गये है। कितने ऐसे फार्म दाखिल किए गये हैं, से सम्बन्धित आशय की टिप्पणी भी संबंधित खातापालक से आदेश फलक पर अंकित करा ली जाए। पत्रावली पर उपलब्ध चालानों तथा ई–पैमेंट से कर के रूप में जमा की गई धनराशि का लाभ भी व्यापारी को दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8– जिन व्यापारियों पर नोटिस पत्रवाहक या स्पीड पोस्ट से तामील नहीं हो पाया हो, ऐसे व्यापारियों के एकपक्षीय आदेश पारित करने से पहले व्यापार स्थल की जांच अवश्य कर ली जाए।

यदि बोगस पैंडेंसी में आने वाले वादों व धारा 25(3) के अन्तर्गत स्वतः कर निर्धारित समझे जाने वाले (धारा 25(4)में चयनित व्यापारियों को छोडकर) वादों के सम्बन्ध में किसी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पारित किया जाता है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

समय–समय पर सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर एक पक्षीय आदेशों की पत्रावलियों को जांच हेतु मंगाते हुए तामीली व अन्य पहलुओं की जांच करेंगे तथा यदि यह पाया जाता है कि दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं करते हुए एक पक्षीय कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है तो ऐसे मामलों में सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुये मुख्यालय को भी सूचित करेंगे।

(रणवीर सिंह चौहान)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 2390 / दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून।

2– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर देहरादून / हरिद्वार / रूद्रपुर / काशीपुर जोन।

3–**ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0 / प्रव0)वाणिज्यकर,देहरादून / ऋषिकेश / हरिद्वार / रूडकी / काशीपुर / रूद्रपुर / बाजपुर / खटीमा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों / बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों / व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

4– ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून / हल्द्वानी।

5– **श्री अनुराग मिश्रा, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, हरिद्वार एवं Web-Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।**

6– डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर, नैनीताल।

7– कार्यालय अधीक्षक / विधि–अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

8– समस्त अनुभाग अधिकारी मुख्यालय।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।